बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–टी–3/भवन–11/2003– पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषयः– महिला औ0 प्र0 संस्थान, सीवान का विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–151 दिनांक–25.01.2012 द्वारा रू0– 7040/– (सात हजार चालीस) मात्र प्रतिमाह किराया स्वीकृत किया गया था एवं पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–हाउस कंट्रोलर, सीवान द्वारा किराया वृद्धि संशोधन के फलस्वरूप श्री विजय कुमार गुप्ता, पिता–स्व0 सत्य नारायण साह, नयी बस्ती, मालवीय नगर महादेवा, सीवान के निजी मकान का मकान भाड़ा दिनांक–15.01.2015 से निर्धारित रू0–9,926/– (रूपये नौ हजार नौ सौ छब्बीस) मात्र के मासिक किराया की स्वीकृति।

आदेशः– **स्वीकृत।**

2– मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के संकल्प संख्या–4761 दिनांक 28 अक्टुबर, 1971 के साथ पठित संकल्प संख्या–62 (प्र0सु0) दिनांक 9 सितम्बर, 1974 द्वारा विभागीय/विभागाध्यक्षो को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

3– यह व्यय आय व्ययक शीर्ष मुख्य शीर्ष–2230 श्रम तथा रोजगार, उपमुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उपशीर्ष–0001 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद्, विषय शीर्ष 0001.14.01 किराया महसूल एवं कर, विपत्र कोड–26–2230031010001 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी, प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीवान होंगे।

5– राशि की निकासी जिला क़ोषागार, सीवान से की जायेगी।

6– प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या टी–3/भवन–11/2003 के पृष्ट–171/टि0 पर प्राप्त है।

7– प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–3/भवन–11/2003– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– जिला कोषागार पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–3/भवन–11/2003– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (आय व्ययक शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–3/भवन–11/2003– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– प्राचार्य, महिला औ0 प्र0 संस्थान, सीवान/श्री विजय कुमार गुप्ता, स्व0 सत्य नारायण साह, मालवीय नगर, नयी बस्ती, सीवान/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2– उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बजट उपबंध रहने पर मकान के किराये का भुगतान करते रहेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भुगतान करने के पूर्व कार्यापालक अभियन्ता भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त कर लेना होगा, जो बिहार वित्त नियमावली खण्ड–2 के परिशिष्ट –5 के अनुबंध "क" के मद संख्या 22 के प्रावधानों के अनुसार हरेक वर्ष प्रथम भार के साथ संलग्न किया जायेगा।

3– किराये में वृद्धि अथवा भवन परिवर्त्तन की स्थिति में किराया की स्वीकृति में पुनः सरकार का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–3/भवन–11/2003– 1148 पटना, दिनांक – 8/5/17

प्रतिलिपि–बजट शाखा/मासिक व्यय विवरणी शाखा/भवन शाखा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव, 05/5/17
श्रम संसाधन विभाग।